न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / याचिका / 8 / 2009

1–श्रीमती विमलेश पत्नि राधेश्याम शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी कमालपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर

.........प्रार्थीगण

बनाम

1–बलवीर
2–गोपाल
3–सुरेश
4–रतन
} पिसरान कमल निवासीयान कमालपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर

5–महेश
6–श्रीमति रुपा बेबा कमल
7–साहबसिंह । पिसरान जयसिंह
8–मोती ।
9–धनकी बेबा श्री जयसिंह
10–भभूतिया पुत्र प्यारसिह
11–रामवीर पुत्र रामस्वरुप
12–शकुन्तला बेबा रामस्वरुप
13–परियोजना निदेशक एन.एच.डब्लू.–11 प्राधिकरण(परियोजना इकाई) दौसा
14–भूमि अवाप्ती अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी) वैर

.....अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

याचिका धारा 3जी एन.एच.डब्लू अधिनियम खिलाफ एवार्ड भूमि अवाप्ती अधिकारी उपजिला कलेक्टर वैर बाबत आराजी खसरा नम्बर 781 व 786

निर्णय **दिनांक 6.2.2018**

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र याचिका पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 781 रकवा 1बीघा 3 विस्वा व 786 रकवा 13 विस्वा में से क्रमश 065 वर्गमीटर व 615 वर्गमीटर एनएच.11 के लिये गांव कमालपुरा तहसील वैर अवाप्त किया गया है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 781रकवा 1बीघा 3 विस्वा में से 2/3 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 786 रकवा 13 विस्वा में से 2/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था । हिस्सेनुसार अविभाजित रकवा पर प्रत्येक इंच पर शामलाती कब्जा है। किसी प्रकार की डिक्री या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा विभाजन का आदेश हुआ है।

पटवारी हल्का ने स्वयं अपने स्तर से बिना कानूनी अधिकार के व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश या डिक्री के खसरा नम्बर 781 का विभाजन कर दिया और याची के 2/3 हिस्सा में बटा नम्बर 1358/781 रकवा 1.03 व 1360 रकवा 0.13 दर्ज कर दिया व शेष हिस्सेदारान का अलग से खाता कायम कर खसरा नम्बर 781 रकवा 0.06 व 786 रकवा 1.05 दर्ज कर दिया । यह समस्त कार्यवाही पटवारी हल्का ने कमल वगैराह हिस्सेदारान से साजिस कर अवाप्ती की अधिसूचना जारी होने के बाद मुआवजा दिलाने के उद्‌देश्य से बिना सक्षम अधिकारी के विवादित आराजी खसरा नम्बर 781 व786 का बटा नम्बर डालकर फर्जी विभाजन दिखा दिया जब कि राजस्व नक्शों में आज कोई बटवारा नहीं हुआ है। भूमि अपाप्ति गजट नोटिफिकेशन में याचि का नाम नहीं है। उपखण्ड अधिकारी वैर को लिखित शिकायत की पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिसम्बर 2008 में रिपोर्ट पेश की गई थी वह रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी ने आज दिन तक कोई आदेश नहीं दिया है और अवार्ड गलत आदमीयों के नाम पारित कर दिया है। प्रार्थी उक्त आराजी खसरा नम्बर 781 व 786 में से अपने हिस्से के अनुसार 2/3 हिस्से का मुआवजा राशि दिलाये जाने के आदेश दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलब की गई। अप्रार्थी. के अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी एन.एच. की ओर से जबाब पेश हुआ शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी एन.एच. की ओर से लिखित बहस पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनो पर गौर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने मुख्य रुप से अवाप्त खसरा नम्बर 781 व 786 के रकवे मे एन.एच. के लिये अवाप्त किये गये रकवे में से 2/3 अपने हिस्से का मुआवजा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। उनका कहना है कि इस बाबत उपखण्ड अधिकारी वैर को लिखित में भी प्रार्थना पत्र दिया गया था उसे पर कार्यवाही नहीं की गई है। योग्य अभिभाषक एन.एच. ने अपनी लिखित बहस के कथनों के अन्त में अंकित किया है कि :–

> ''..... राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रावधानुसार मध्यस्थ महोदय को केवल और केवल मात्र मुआवजा राशि पर उपत्नन विवाद को ही सुनकर निस्तारित करने का अधिकार है, पक्षकार के मध्य उत्पन्न हिस्सेदार अथवा स्वामित्व को अभिनिर्धारित करने का अधिकार नहीं है, श्रीमान के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र में स्वामित्व एवं हिस्सेदारी को तय किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जो कि कानून श्रीमान के क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण विचाराधीन प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है.......।''

पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति प्रार्थना पत्र तारीखी 21.10.2008 का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने विवादित अवाप्त खसरा नम्बर आराजी आराजी में अपने हिस्से के अनुसार मुआवजा दिलाये जाने हेतु विमलेश बनाम बलवीर आदि दावा 88–89,188 आर.टी.एक्ट अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी वैर के यहॉ प्रस्तुत किया गया है।

.......3

क्रमांक/याचिका/8/2009
विमलेश बनाम बलवीर वगै0

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी में बटवारे एवं अपने स्वत्व के आधार पर अपना मुआवजा राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी को विवादित आराजी में अपने स्वत्व में बटवारे के लिये सक्षम न्यायालय में चारा जोही करनी चाहिये। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6.2.2018 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डा.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर